<u>न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> <u>जिला—बड़वानी (म०प्र०)</u>

आर.सी.टी. नं.187/2017 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 655/2017</u> संस्थन दिनांक 01.09.2017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्ध

- मोहन उर्फ गुड्डु पिता दयाराम धनगर आयु 30 वर्ष,
 निवासी दवाना थाना ठीकरी,जिला—बडवानी म0प्र0।
- नरेन्द्र पिता तोताराम राजपूत, आयु 30 वर्ष,
 निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा — श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.। अभियुक्त द्वारा — श्री एच0सी0 बंसल अधिवक्ता ।

—: नि र्ण य :— (आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित)

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 324/34 का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंनें दिनांक 07.08.2017 को बलगांव रोड सती माता मंदिर के सामने दवाना में दिन के लगभग 3:00 बजे फरियादी सुभाष को धारदार वस्तु दराता से मारपीटकर स्वैच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि,फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने के आधार पर अभियुक्तगण को भादसं० की धारा

//2// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 655/2017</u> <u>संस्थन दिनांक 01.09.2017</u> आर.सी.टी. नं.187/2017

294,323,506 भाग—2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है, व धारा 324 / 34 भा.द. सं. के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया है।

- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि० 07.08.2017 को दिन के लगभग 3:00 बजे नरेन्द्र पिता तोताराम, मोहन उर्फ गुड्डु बलगांव रोड पर ढोर चरा रहे थे। वह उनके पास राम राम करने गया तो इसी बात पर से इन दोनों ने उसको मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे। उसने गालिया देने से मना किया तो नरेन्द्र के हाथ में बकरी के लिये पाला काटने वाला दराता था। उसने उसे दाडी के नीचे मारकर चोट पहुंचाई व खून निकलने लगा तथा मोहन उर्फ गुड्डु ने भी उसे मां बहन की नंगी नंगी गालिया देकर उसके हाथ में लकडी थी जो उसने उसे पीठ पर लकडी मारकर चोट पहुंचाई। वह चिल्लाया तो उसका साला कान्हा व कालु ने झगडे का बीच बचाव किया। फिर दोनो ने बोला कि, आज तु बच गया किसी दिन जान से खत्म कर देगे। फिर वह अपने साला कान्हा व पत्नि को साथ में लेकर थाना रिपोर्ट करने गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कं0 234 / 17 पंजीबद्ध किया तथा नक्शा मौका बनाया गया। जप्ती पंचनामा बनाया गय साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं. का भी आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है,किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.08.2017 को समय 3:00 बजे स्थान बलगांव रोड सती माता मंदिर के सामने दवाना में,फरियादी सुभाष को स्वैच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अनुसरण में सुभाष को धारदार वस्तु दराता से मारपीट कर उसे स्वैच्छयापूर्वक उपहित कारित की?

//3// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 655/2017</u> संस्थन दिनांक 01.09.2017 आर.सी.टी. नं.187/2017

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

- 6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण सुभाष (अ.सा. 1),प्रतापसिंह (अ.सा.2) के कथन कराये है।
- 7. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादी/आहत् सुभाष (अ.सा.1) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी सुभाष (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, जहां पर विवाद हुआ था, वहां पर बहुत से नुकीले पत्थर पडे हुये थे। उक्त साक्षी का पैर फिसल गया था, जिससे मुंह के बल गिर गया था। उक्त साक्षी को जमीन पर पडा हुआ पत्थर दाढी के नीचे लगा था जिससे चोट आयी थी। बचाव पक्ष द्वारा फरियादी/आहत् सुभाष को आयी हुयी चोटों के संबंध में दी गयी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लेने के कारण व फरियादी सुभाष (अ.सा.1) के चोट से संबंधित कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, उक्त दिनांक को फरियादी/आहत् सुभाष (अ.सा.1) को चोटे आयी थी।
- 8. अब यह विचार किया जाना है कि, उक्त चोटे अभियुक्तगण के द्व रारा आहत् सुभाष (अ.सा.1) को कारित करने हेतु सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत् सुभाष (अ.सा.1) को धारदार वस्तु दराता से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की। फरियादी सुभाष (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण मोहन व नरेन्द्र को जानता है। घटना लगभग डार्ढ माह पूर्व शाम के समय की है। उक्त साक्षी का अभियुक्तगण से मवेशी चराने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद जहां पर हुआ था, वहां पर बहुत से नुकीले पत्थर पड़े हुये थे, उसका पैर फिसल गया था, जिससे वह मुंह के बल नीचे गिर गया था, उसे जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर दाड़ी के नीचे लगा था, जिससे चोटे आयी थी। उक्त साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी, जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 9. उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे गये, व साक्षी ने यह बात से इंकार किया है कि, उसकी दाडी के नीचे आरोपी नरेन्द्र ने दराता मार दिया था, जिससे उसे चोट आकर खून निकला था, व इस बात से भी इंकार किया है कि, रिपोर्ट प्र0पी0 1 में दर्शित तथ्य कि, अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा दराता मारा गया था। उक्त साक्षी द्वारा पुलिस को प्र0पी0 2 के कथन भी देने से इंकार

//4// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 655/2017</u> <u>संस्थन दिनांक 01.09.2017</u> आर.सी.टी. नं.187/2017

किया है, व यह स्वीकार किया है कि, अभियुक्तगण से उसने राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार फरियादी/आहत् सुभाष ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

- 10. साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) जो कि, घटना के अनुसंधानकर्ता अधिकारी है ,ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह दिनांक 07.08.2017 को पुलिस थाना ठीकरी पर प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना ठीकरी के अपराध कं0 234/2017 धारा 294,323,324/34,506 भाग—2 भा.द.सं. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्तगण नरेन्द्र व मोहन उर्फ गुड्डु निवासी दवाना के विरूद्ध विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान साक्षी कालु की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी० 3 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरा आहत् कान्हा,कालु सुभाष के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, आपनी मर्जी से कुछ भी घटाया बढाया नहीं । दिनांक 18. 08.2017 को अभियुक्त मोहन उर्फ गुड्डु के पेश करने पर एक बांस की लकडी दो फीट लंबी तीन गठान वाली गवाहों के समक्ष जप्त की थी, जप्ती पंचनामा प्र0पी० 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। इसी दिनांक को अभियुक्त नरेन्द्र के पेश करने पर एक लोहे की दराता जिस पर लकडी का हत्था लगा है, गवाहों के समक्ष जप्त की थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी० 5 जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। बाद विवेचना पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी के सुपुर्द की थी।
- 11. उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, घटना स्थल डामर रोड है, वह यह भी स्वीकार किया है कि, डामर रोड पर कोई गिर जाये तो उसे चोट आ सकती है, व जप्तशुदा लोहे का दराता आसानी से लोगो के घर में उपलब्ध हो जाता है।
- 12. फरियादी साक्षी सुभाष (अ.सा.1) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, व साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) ने अनुसंधान में की गयी कार्यवाही के संबंध में कथन किये है, चूंकि प्रकरण में आहत् स्वंय ने घटना का समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की रह जाती है। अतः साक्षी आहत् सुभाष के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 13. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी ने आरोपीगण से राजीनामा किया हैं तथा आरोपीगण के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्तगण के विरूद्ध भादसoं कीधारा 324/34 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता हैं।

//5// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 655/2017</u> <u>संस्थन दिनांक 01.09.2017</u> आर.सी.टी. नं.187/2017

- 14. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण मोहन उर्फ गुड्डु पिता दयाराम, नरेन्द्र पिता तोताराम को भा0द0सं0 की धारा 324/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता हैं।
- 15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकडी एवं एक लोहे का दराता अपील अविध पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।
- 17. आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादसoं की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़, जिला बडवानी

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी